कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था. /2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री अश्वनी कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नंगली मेघा (NANGALI MEGHA), जिला अलवर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेसर (BAISAR) जिला झालावाड किया गया, जिसके विरूद्ध श्री अश्वनी कुमार शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3083/2019 श्री अश्वनी कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3083/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.11.2019 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावदेन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुर्क्त आशय का अभ्यावदेन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार एक सकारण अख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी पत्नी की अस्वस्थता के आधार पर अपना पदस्थापन अलवर जिले मे राउमावि, राजपुर छोटा या राउमावि मिलकपुर तुर्क, तिजारा, अलवर या राउमावि गादुवास, मुण्डावर, जिला अलवर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाहे गए विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं होने के कारण उन्हें अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276 मे निम्न प्रकार अवधारित किया है:– "So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."

उपर्युक्त तथ्यों, एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी श्री अश्वनी कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/अश्वनी कुमार शर्मा/3083/2019/19 **दिनांक 29.11.2019**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/कोटा संभाग।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर/झालावाड।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, अलवर/झालावाड।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. श्री अश्वनी कुमार शर्मा, सम्बन्धित प्रधानाचार्य।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)